फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री नारायण **विपक्षी : श्री रतनलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 138/13**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 7 के विरूद्व पूर्व कार्यवाही ड्रोप की गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 से 4 के मौरूस जगन्नाथ, विपक्षी सं. 5, 6, 8, 10, 11 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में हेमा के नाम दर्ज थी जो विरासत से जगन्नाथ, किशोर, सवलाल, कालु, वरदा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि हेमा के अन्य वारिस के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा पैतृक सम्पति में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर विपक्षीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से हक निहित हैं। भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि को विपक्षीगण खुर्द बुर्द व बेचान करने पर आमादा हैं। यदि विपक्षीगण को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षीगण अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडकर प्रार्थीगण अपने हिस्से से वंचित हो जायेगे। इसलिए विपक्षीगण को बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा लदाना पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 किता 5 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1 से 6, 8, 10, 11 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली